



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर मु0- कीर्तिनगर



Phone no./Fax no. 01370-260070

mail- eepwdkirtinagar@rediffmail.com

पत्रांक 1802/33 सी

दिनांक 10/08/2018

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती।

विषय – लिंगवाणा से सौडू रानीताल मोटर मार्ग के वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/17623/2016 के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- ऑन लाईन आपत्ति दिनांक 18.12.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में अवगत कराना है कि उक्त प्रस्ताव पर दिनांक 22 जनवरी 2016 को ऑन लाईन किया गया था, जो कि दिनांक 18.12.2017 को इस खण्ड को कमियों में प्राप्त हुई है जिसका निराकरण निम्नवत किया जा रहा है।

अतः महोदय से निवेदन है कि प्रस्ताव पर अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

Sl. No.	User agency against E.D.S.	E.D.S. Reply
1	2	3
1	Please Provide us SDM level Committee and agreement copy of between user agency and Nap land holders.	SDM level Committee and agreement copy of between user agency and Nap land holders अपलोड कर दी गई है।

- संलग्न –
1. एफ0आर0ए0 की उपसमिति एक प्रति मूल में तथा चार छाया प्रतियां।
 2. Agreement copy between user agency and Nap land holders एक प्रति मूल में तथा चार छाया प्रतियां।

10/8/18
अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर मु0- कीर्तिनगर

परियोजना का नाम :-

राज्य योजना के अन्तर्गत लिंगवाणा से सौडू-रानीताल मोल्ठा मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (लम्बाई 4.350 कि०मी०)

कार्यालय उप जिलाधिकारी कीर्तिनगर
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, कीर्तिनगर

उपखण्ड कीर्तिनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत कीर्तिनगर के अन्तर्गत लिंगवाणा से सौडू-रानीताल मोल्ठा मोटर मार्ग का नव निर्माण (0.0175 हे० आरक्षित वन भूमि, 1.470 हे० सिविल सोयम भूमि, शून्य वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 1.4875 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील कीर्तिनगर) की दिनांक 01/09/15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री टीपेन्द्र नेगी, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1-	श्री दीपेन्द्र नेगी	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2-	श्री डी० पी० बलोनी	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
3-	श्री विमोद कुमार उनियाल	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव
4-	श्रीमती सुनीता देवी	बी०डी०सी० क्षेत्र	सदस्य

सुनीता देवी

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि लिंगवाणा से सौडू-रानीताल मोल्ठा मोटर मार्ग का नव निर्माण परियोजना हेतु 1.4875 हे० वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, देवप्रसाग उप वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कीर्तिनगर परिक्षेत्र के लिंगवाणा से सौडू-रानीताल मोल्ठा मोटर मार्ग का नव निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु 1.4875 हे० वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।


उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
कीर्तिनगर, टिहरी गढ़वाल
तहसील-.....
जनपद

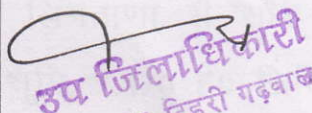
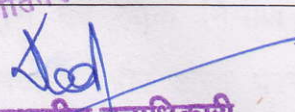
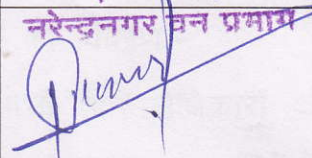
प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
उप जिलाधिकारी
कीर्तिनगर, टिहरी गढ़वाल
तहसील-.....
जनपद टिहरी गढ़वाल

परियोजना का नाम :-

राज्य योजना के अन्तर्गत लिंगवाणा से सौडू-रानीताल मोल्ठा
मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (लम्बाई 4.350 कि०मी०)

दिनांक 01-09-2015 उपखण्ड स्तरीय समिति की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
जनपद-

1.	श्री दीपेन्द्र नेगी	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष	 उप जिलाधिकारी बीबिगार, टिहरी गढ़वाल
2.	श्री डी० पी० बलौनी	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य	 उप प्रभागीय वनाधिकारी (रेवेन्यू शाखा)
3.	श्री विनोद कुमार अनियोल	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव	नरेन्द्रनगर वन प्रभाग 
4.	श्री मठे सुनीता देवी	बी०डी०सी० क्षेत्र सुनीता देवी	सदस्य	सुनीता देवी सुनीता देवी क्षेत्र पंचायत सदस्य कनिष्ठी वि० अ०-देवप्रदाय (वि० ग०)

प्रमाण पत्र

कार्य का नाम :-

जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत लिंगवाणा से सौड़ू रानीताल मोल्ठ चक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 4.350 कि०मी०)।

लिंगवाणा से सौड़ू रानीताल मोल्ठ चक मोटर मार्ग लम्बाई 4.350 कि०मी० के निर्माण के लिए 1.4875 हे० वन भूमि के हस्तान्तरण हेतु दोगुने अनवरत क्षेत्र 2.975 हे० में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए खसरा नं० 669 म० खतौनी सं० 13 वर्ग उ०प्र०सं० वर्ग 9(3 ड़) बंजर जो कि उत्तराखण्ड सरकार के नाम दर्ज है को प्रस्तावित किया गया है, को मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति (प्रथम चरण की स्वीकृति) प्राप्त होने के पश्चात वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण हस्तान्तरण कर दी जायेगी।


18/07/2018
राजेश कुमार
उप निरीक्षक
क्षेत्र कुनई
तहसील देवप्रयाग
जिला टिहरी गढ़वाल

उपजिलाधिकारी


19.7.18
तहसीलदार
देवप्रयाग, टि०ग०

परिहस्ताक्षरित

अपर जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल


उप जिलाधिकारी
कीर्तिनगर, टिहरी गढ़वाल

प्रमाण पत्र

कार्य का नाम :-

जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत लिंगवाणा से सौड़ रानीताल मोल्ड चक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 4.350 कि०मी०)।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु क्षतिपूर्ति

वृक्षारोपण के लिए खसरा नं०

८८९ म०

खतौनी सं० 13

वर्ग ३० प्र० सं० वर्ग ९ (३ इ) बंजर जो कि उत्तराखण्ड सरकार के नाम दर्ज है। उपरोक्त खसरा नं० पर वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण किया जा सकता है उक्त भूमि पर वृक्षारोपण करने में कोई भी आपत्ति नहीं है।


18/11/2018
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र कुनडी
राजस्व उप निरीक्षक
तहसील देवप्रयाग
जिला टिहरी गढ़वाल


14.1.18
तहसीलदार
देवप्रयाग, टि० ग०


उप जिलाधिकारी
क्षेत्रीय नगर, टिहरी गढ़वाल

प्रतिहस्ताक्षरित

अपर जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल
अपर जिलाधिकारी

कार्य का नाम :-

जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत लिंगवाणा से सौड़ू रानीताल मोल्ह चक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 4.350 कि०मी०)।

नकल खसरा

ग्राम - अरोरा पट्टी - धिसिस्थान
तहसील - देवप्रयाग, जिला - टिहरी गढ़वाल।

वास्ते वनीकरण हेतु भूमि चयन - 2.975 है०

क्र०सं०	खसरा नं०	खाता सं०	रकबा		खातेधारक का नाम
			कुल रकबा	वनीकरण हेतु अर्जित रकबा	
1-	669 म०	13	3.05 व०	2.975 व०	उ० खण्ड बरनारजी टि० 315.
योग -			-	2.975 व०	

18/07/2018
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र कुनडी
तहसील देवप्रयाग
जिला टिहरी गढ़वाल

19.7.18
तहसीलदार
देवप्रयाग, टि० 315

प्रतिहस्ताक्षरित
अपर
अपर जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल

अर
उप जिलाधिकारी
कीर्तिनगर, टिहरी गढ़वाल